भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 810
सोमवार, 12 दिसम्बर, 2022/21 अग्रहायण, 1944 (शक)

पुरूषों और महिलाओं में रोजगार अंतर

810. श्री लल्लू सिंहः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (2020-21) की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, महिला स्नातकों की तुलना में पुरुष स्नातक रोजगार प्राप्त करने में अधिक सफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रोजगार प्राप्त करने में पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है और देश के कुछ राज्यों में यह 50 प्रतिशत से अधिक है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट का अध्ययन किया है और यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार महिला स्नातकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा स्रोत आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) है जिसे वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा करवाया जा रहा है। सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष स्नातकों एवं महिला स्नातकों की अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) इस प्रकार से हैः

कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर)-(% में)		
वर्ष	पुरुष स्नातक	महिला स्नातक
2018-19	69.3	21.3
2019-20	69.6	24.1
2020-21	72.1	23.5

स्रोतः पीएलएफएस, एमओएसपीआई

वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष स्नातक और महिला स्नातक की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित डब्ल्यूपीआर अनुबंध में दी गई है।

वर्ष 2020-21 की वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) एवं बेरोजगारी दर (यूआर) क्रमशः 54.9%, 52.6% एवं 4.2% थी।

(घ) से (ङ) सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी एवं उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में अनेकों सुरक्षा के प्रावधान शामिल किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में वेतन सहित प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने और 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति प्रदान करने आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य माहौल (ओएसएच) संहिता, 2020 में खुली खुदाई वाले कार्यों सहित भूमि से ऊपर की खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और भूमिगत खदानों में, तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति प्रदान करने के प्रावधान हैं।

वेतन संहिता, 2019 में प्रावधान हैं कि किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में समान नियोक्ता द्वारा, मजदूरी से संबंधित मामलों में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ-साथ रोजगार प्रदान करने के मामले में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्यों के लिए किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि वहां इस तरह के कार्यों में महिलाओं का रोजगार, उस समय लागू किसी भी कानून के तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध न हो।

महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 12.12.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 810 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष स्नातकों और महिला स्नातकों की सामान्य स्थिति आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार डब्ल्यूपीआर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19		2019-20		2020-21	
		पुरुष स्नातक	महिला स्नातक	पुरुष स्नातक	महिला स्नातक	पुरुष स्नातक	महिला स्नातक
1	आंध्र प्रदेश	66.9	21.4	68.0	24.5	71.1	28.9
2	अरुणाचल प्रदेश	59.7	25.8	66.5	39.9	72.0	33.7
3	असम	70.5	24.6	70.7	30.3	79.5	29.3
4	बिहार	60.8	9.0	64.3	10.9	63.7	7.4
5	छत्तीसगढ	79.2	31.0	72.7	30.9	74.3	17.4
6	दिल्ली	66.4	18.5	63.9	16.9	68.9	18.0
7	गोवा	81.0	34.2	72.6	44.6	72.5	44.9
8	गुजरात	77.0	23.3	75.9	25.5	78.4	24.3
9	हरियाणा	69.3	19.3	66.8	19.1	70.1	15.8
10	हिमाचल प्रदेश	73.2	28.2	67.1	49.8	80.1	51.0
11	जम्मू और कश्मीर	68.6	25.3	65.4	25.8	66.3	22.6
12	झारखंड	66.5	23.0	67.0	21.4	71.8	36.4
13	कर्नाटक	77.9	24.6	71.3	24.3	78.7	25.3
14	केरल	66.9	29.8	62.7	29.5	62.5	32.3
15	मध्य प्रदेश	72.7	19.1	71.1	20.8	76.9	24.5
16	महाराष्ट्र	72.2	26.7	76.1	32.9	74.0	27.0
17	मणिपुर	68.8	34.8	66.5	44.1	63.1	36.0
18	मेघालय	79.6	60.0	75.5	54.7	80.1	56.1
19	मिजोरम	73.1	41.1	71.8	44.1	79.9	52.0
20	नागालैंड	69.8	19.4	51.2	31.4	56.8	32.6
21	ओडिशा	69.7	19.1	68.2	24.1	70.6	20.1
22	पंजाब	70.4	21.5	74.9	25.4	74.2	16.8
23	राजस्थान	65.0	19.1	64.8	22.4	61.9	17.2
24	सिक्किम	80.9	73.4	80.4	69.1	77.4	67.1
25	तमिलनाडु	70.0	28.3	68.7	33.1	72.6	30.3
26	तेलंगाना	59.9	21.5	63.7	20.1	75.5	26.0
27	त्रिपुरा	71.1	28.3	74.2	29.0	74.9	25.3
28	उत्तराखंड	73.3	20.9	62.7	26.6	69.4	25.8
29	उत्तर प्रदेश	65.3	9.6	71.0	10.5	72.1	14.5
30	पश्चिम बंगाल	73.9	22.8	68.7	29.2	74.3	27.4
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	78.9	38.6	79.6	45.8	68.6	34.2
32	चंडीगढ़	67.5	28.6	77.6	30.1	61.7	29.7
33	दादरा एवं नगर हवेली	99.7	30.4	86.6	29.3	80.2	45.0
34	दमन और दीव	100.0	5.7	86.5	23.6		
35	लक्षद्वीप	50.6	34.1	84.8	46.3	97.9	34.4
36	पुदुचेरी	64.3	26.8	70.0	30.2	73.8	23.2
37	लद्दाख	-	-	73.4	37.1	93.9	72.9
अखिल भारत		**69.3**	**21.3**	**69.6**	**24.1**	**72.1**	**23.5**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई